

सोशल मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र सं0-07/2023

दिनांक- 05 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति शस्त्र धारक के 03 शस्त्र के लाइसेंस निरस्त

- ➡प्रभारी निरीक्षक, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ की आख्या व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की संस्तुति के आधार पर हीरालाल गौतम पुत्र रामजश, ग्राम खानपुर दोस्तपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 928/2010 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत है।
- ➡िजसमें अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अभियुक्त वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है।
- ➡अभियुक्त हीरालाल उपरोक्त 03 शस्त्र के लाइसेंस का धारक था, जिसने 1- शस्त्र लाइसेंस संख्या-298/37 शस्त्र रिवाल्वर संख्या- 8636, 02- शस्त्र लाइसेंस सख्या-310 शस्त्र एसबीबीएल संख्या- 20468, 03- शस्त्र लाइसेंस सख्या-301/46, शस्त्र राइफल सं0- एबी-005272 ले रखा था।
- ➡िदनांक- 28.12.2022 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा अभियोजन पक्ष के बहस एवं तर्कों के आधार पर शस्त्र लाइसेंसी अभियुक्त हीरालाल गौतम उपरोक्त के तीनों शस्त्रों के लाइसेंस को निरस्त किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ; जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा माह के जागरूकता रैली को दिखायी हरी झंडी।

आज दिनांक- 05.01.2023 को शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार में सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ किया गया। जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हुये। सर्व प्रथम जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दीप प्रज्विल्लत कर सड़क सुरक्षा माह का शुभारम्भ किया गया, इसके पश्चात सभी अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा माह पर यातायात नियमों के पालन करने हेतु सभा को संम्बोधित किया गया।

सभा में उपस्थित सभी अधिकारी व कर्मचारीगण अन्य मौजुद NCC कैडेस, रोवर्स रेंजर्स व परिवहन निगम के चालक/परिचालक तथा स्कूली वाहनो के चालक/परिचालक द्वारा यातायात नियमों के पालन करने हेतु शपथ लिया गया, तत्पश्चात सड़क सुरक्षा माह के जागरूकता रैली को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा हरी झण्डी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया गया। यह जागरूकता रैली पुलिस लाइन आजमगढ़ से प्रस्थान कर घण्टा घर चौराहा, सिविल लाइन चौराहा से अग्रेसन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए पुनः पुलिस लाइन वापस आयी। इस सड़क सुरक्षा माह के उद्धघाटन के अवसर पर मुख्य चिकत्साधिकारी आजमगढ़, संभागीय परिवहन अधिकारी रामबृक्ष सोनकर व आर. एन. चौधरी. व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सतेन्द्र सिंह व अतुल यादव व क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी और प्रभारी यातायात व यातायात पुलिस कर्मी तथा एनसीसी कडेरस व रॉवर्स रेंजरर्स. परिवन निगम के चालक परिचालक व स्कूली वाहनों के चालक परिचलक मौजुद रहे।

थाना- रानी की सराय

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

- 1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 19.06.2021 को वादिनी थाना रानी की सराय आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री को विपक्षी रिजवान पुत्र कुद्दुश ग्राम अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ने दिनाँक 24.05.2021 समय करीब 05.00 बजे सुबह बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 72/2021 धारा 366 भादिव पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 363/366(ए)/376 भादिव व 5J(II)/6 पाक्सों एक्ट व 3(2)V, SC ST ACT की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रिजवान उपरोक्त को दिनाँक 05.01.2023 को थाना रानी की सराय से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।
- 2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 05.01.2023 को उ0िन0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र कुद्दुस नि0 अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को पटेल नगर तिराहा के पास से समय 14.55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।
- **3. पंजीकृत अभियोग** मु0अ0सं0 72/2021 धारा 363/366(ए)/376 भादिव व 5J(II)/6 पाक्से एक्ट व 3(2)V, SC ST ACT की बढोत्तरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
- 4. गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र कुद्दुस नि0 अन्धौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
- 5. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना- अहरौला गैगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

- **1.घटना का संक्षिप्त विवरण** अभियुक्त 1. राजेन्द्र पाठक पुत्र सालिकराम सा0 शिवरा थाना सिकरारा जनपद- जौनपुर 2. सूर्यभान गौतम पुत्र दिधबल राम सा0बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. प्रहलाद मौर्य पुत्र शिववचन मौर्य सा0टाड़ा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर 4. मनीष पाठक पुत्र सीताराम सा0 रुकुनुद्दीनपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 5. श्रीप्रकाश यादव पुत्र गयाराज यादव सा0 शिवरा थाना सिकरारा जनपद जौनपुर 6. सुमित राम पुत्र प्यारेलाल सा0नईगंज थाना कोतवाली जनपद जौनपुर 7. मनोज गौतम पुत्र रामशब्द सा0 कटवा गहजी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ विरुद्ध मु0अ0सं0 419/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग थाना अहरौला जिला आजमगढ में पंजीकृत है।
- **2.गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 05/02/2023 को थाना प्रभारी अहरौला योगेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्यभान गौतम पुत्र दिधबल राम सा0बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को बसही बाजार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ से समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
- **5. पंजीकृत अभियोग**:- मु0अ0सं0 419/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अहरौला जिला आजमगढ
- **6. आपराधिक इतिहास**:- (1) मु0अ0सं0 419/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अहरौला जिला आजमगढ
 - (2) 202/2022 धारा 34/364-A/386/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
 - (3) 66/2019 धारा 8/20 NDPS ACT थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
- 7. गिरफ्तार अभियुक्त सूर्यभान गौतम पुत्र दिधबल राम उम्र 43 वर्ष सा0 बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
- 8. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- SHO योगेन्द्र बहादुर सिंह, का0 संजीव कुमार, का0 नागेन्द्र कुमार ,म0का0 संध्या सिंह चौहान, का0 चालक राजेश वर्मा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व प्रभारी स्वाट टीम उ0िन0 विनय कुमार दुबे, हे0का0 विनोद सरोज ,हे0का0 सत्येन्द्र यादव , हे0का0 धर्मेन्द्र यादव ,का0 प्रदीप कुमार पाण्डेय ,का0 हारिशवासे खान ,का0 अवनीश सिंह व का0 उमेश यादव सर्विलांस सेल आजमगढ़

थाना- निजामाबाद चोरी गये सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

<u>1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण</u> दिनांक- 03.01.2023 को वादी राकेश कुमार पुत्र बालेदीन निवासी विशेषरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा पिकअप वाहन में रखे चार ट्यूटर और पांच पार लाईट और 40 मीटर पीला तार , अभियुक्त शुभम सिहं पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी खाझेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ द्वारा चोरी कर लिये जाने के सम्बंध में थाना स्थानीय पर

मु0अ0सं0 003/2023 धारा-379 भादवि पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को आज दिनांक 05.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। तथा धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

2. गिरफ्तारी का विवरण —30नि0 मो0 शमशाद खां मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शुभम सिहं पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी खाझेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ को रानीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी गये सामान ट्यूटर व तार बरामद किया गया। चोरी गये पांच पार्ल लाईट के बारे में पुछा गया तो बताया कि साहब रात्रि में ही गन्ने के खेत में मै कही फेक दिया और मुझे याद नहीं है। चोरी का माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादिव की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त शुभम उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय में किया गया। पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 005/23 धारा-379/411 भादिव थाना निजामाबाद आजमगढ़ शुभम सिहं पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी खाझेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़

बरामदगी- 40 मीटर तार, 04 अदद ट्यूटर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 मो0 शमशाद खां मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ